

प्रेषक,

राम किशोर,  
संयुक्त सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,  
सहकारी समितियों, उ०प्र०,  
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 10 फरवरी, 2014.

विषय:- विभागीय मंत्री जी द्वारा विवेकाधीन अनुदान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभागीय मंत्री द्वारा विवेकाधीन अनुदान दिये जाने के रूप में वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू० 10,000/- (रूपये दस हजार मात्र) को, किसान सेवा सहकारी समिति, लि०, चौबिया विकास खण्ड बसरेहर, जनपद इटावा के पक्ष में सहकारिता के विकास हेतु स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त अनुदान का आवंटन गृहीता संस्था को किये जाने के पूर्व इस आशय का प्रमाण-पत्र लिया जायेगा कि उसने राज्य सरकार के किसी अन्य श्रेणी के विवेकाधीन अनुदान/मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से चालू वित्तीय वर्ष में कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं की है।

3- उक्त अनुदान का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें यह उल्लेख किया जायेगा कि अनुदान की शर्तों और उद्देश्यों को पूर्ण कर लिया गया है।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-18 के अधीन लेखाशीर्षक "2013-मंत्रिपरिषद-आयोजनेत्तर-105-मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-03-सहकारिता मंत्री द्वारा विवेकाधीन अनुदान-42 - अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

( राम किशोर )  
संयुक्त सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-99(1)/49-3-2014, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- उप महालेखाकार (राजकोष एवं वी०एल०सी०), कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- उप महालेखाकार (राजकोष) कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय उ०प्र० इलाहाबाद।
- 3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- निजी सचिव, मा० सहकारिता मंत्री जी उ०प्र० शासन।
- 5- वित्त नियंत्रक, सहकारी समितियों, उ०प्र०, लखनऊ।
- 6- वेब मास्टर, कार्यालय निबंधक, सहकारी समितियों उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 7- मण्डलायुक्त, कानपुर मण्डल, एवं जिलाधिकारी, इटावा।
- 8- सम्बन्धित संस्था द्वारा निबंधक, सहकारी समितियों, उ०प्र०, लखनऊ।
- 9- जिला सहायक निबंधक, सहकारी समितियों, इटावा, उ०प्र०।
- 10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उ०प्र० शासन।
- 11- सूचना सलाहकार, मुख्य मंत्री कार्यालय, एनेक्सी भवन, लखनऊ।
- 12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( राम किशोर )  
संयुक्त सचिव।

2/2

142/कोष  
12.2.2014